कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013 , Email:- commnngm-uda-rj@nic.in, website:- www.udaipurmc.org

क्रमांक :– राजस्व/2024–25/88 दिनांकः– 7.8.2024

अपील

नगर निगम, उदयपुर द्वारा 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अभियान चलाकर उदयपुर शहर में सार्वजनिक सड़को से स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से सड़को की चौडाई बढने से आमजनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिली व यातायात सुगम हुआ है। शहर में वायु प्रदुषण में कमी आई है।

इसी क्रम में लेख है कि उदयपुर शहर के बाजारों में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों व व्यापारियों द्वारा आगामी त्यौहारो के लिये अपनी दुकानों के आगे सार्वजनिक सड़को पर टेन्ट व स्टॉल लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त कृत्य धारा 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूंकि त्यौहारो पर लोगो का आवागमन बढने से सड़को पर ट्रैफिक का दबाव बढता है, ऐसी स्थिति में दुकानों के बाहर सार्वजनिक सड़को पर टेन्ट लगाकर स्टॉल लगाने से यातायात अवरूध हो जाता है जिससे आमजनता को त्यौहार के समय में आवागमन में काफी असुविधा होती है।

अतः आमजनता को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिये व्यापक जनहित में समस्त व्यापारी बन्धुओ से अपील है कि आगामी त्यौहारों पर अपनी दुकानों के आगे सार्वजनिक सड़क पर टेन्ट व स्टॉल लगाकर अतिक्रमण नहीं करें। उदयपुर शहर की सड़को को अतिक्रमण मुक्त रखने में नगर निगम का सहयोग करें अन्यथा सार्वजनिक सड़को पर अतिक्रमण करने पर नगर निगम द्वारा धारा 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

गोविन्द सिंह टांक
महापौर
नगर निगम, उदयपुर।

(राम प्रकाश) IAS
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर।